क्या चिकित्सा जानकारी निष्पक्ष होती है?

यह बात बार-बार सामने आ रही है कि चिकित्सा सम्बंधी जानकारी उपलब्ध कराने वाले विशेषज्ञों के निहित स्वार्थ उस जानकारी से जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में उस जानकारी की निष्पक्षता पर संदेह होना लाज़मी है। शोध पत्रिकाओं ने इसे लेकर आचार संहिताएं विकसित की हैं। ऐसा ही एक मामला हाल में बीबीसी न्यूज़ की वेबसाइट पर प्रसारित एक आलेख के संदर्भ में उभरा है।

पिछले वर्ष बीबीसी न्यूज़ पर प्रकाशित एक आलेख में लेखक ने दावा किया था कि मानसिक बीमारियों में दवाइयां अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेख के अंत में लेखक रिचर्ड ग्रे ने खुलासा किया था कि वे इसी विषय पर कई दवा कंपनियों की ओर से व्याख्यान देते रहे हैं। मगर उन्होंने यह नहीं बताया था कि उन्हें ये व्याख्यान देने के लिए भुगतान प्राप्त होता है। खास तौर से उन्होंने यह खुलासा नहीं किया था कि उन्हें अवसाद-रोधी दवाइयों के निर्माता एस्ट्राज़ेनेका और एलि लिली से मानदेय मिलता है।

देखा जाए, तो दवा कंपनियों से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति चाहे-अनचाहे उनके हितों की रक्षा करेगा। दूसरी ओर, एक विशेषज्ञ के तौर पर उसे आम लोगों के हितों का भी ख्याल रखना है। इन हितों के बीच परस्पर टकराव संभव है। अधिकांश चिकित्सा शोध पत्रिकाएं आजकल शोध पत्र के लेखकों से मांग करती हैं कि वे इस तरह के हितों के टकराव का खुलासा अपने शोध पत्र में करें।

आजकल जब अधिकांश औषधि अनुसंधान दवा कंपनियों द्वारा प्रायोजित है, तब हितों का टकराव अवश्यंभावी है। लिहाज़ा शोध पत्रिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी शोध पत्र को पढ़ते वक्त पाठक को मालूम रहे कि उस पर्चे के लेखकों को पैसा कहां से मिलता है।

मगर आम लोगों के लिए जानकारी का स्रोत प्रायः संचार माध्यम होते हैं। शायद यह सोचने का वक्त आ गया है कि हितों के टकराव सम्बंधी कोई आचार संहिता संचार माध्यम भी अपनाएं ताकि आम लोग किसी जानकारी का आकलन करते वक्त इस सूचना का ध्यान रख सकें। ***(स्रोत फीचर्स)***